प्रेस नोट 03.10.2021

महिला एच्छिक ब्यूरों के प्रयाश से 27 मामलों में से 11 मामलों का हुआ निस्तारण, एक दंपति साथ रहने को हुए राजी–

महिला एच्छिक ब्यूरों की बैठक आज दिनांक 03.10.2021 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अमित कुमार सिह के मार्गदर्शन में पुलिस लाइन में सम्पन्न हुयी। इस दौरान कुल ब्यूरों में कुल 27 मामलें आये जिसमें सुनीत पत्नी शंशीकान्त साथ साथ रहने को राजी हो गये। पूनम वर्मा और भानू वर्मा ने प्रार्थनापत्र दिया है लेकिन बैठक में बार–बार उपस्थित नही हो रहे है जिससे उनकी फाइल को बन्द कर दिया गया। इसी तरह कुल 06 मामलें प्रार्थीगण के उदासीनता के कारण बन्द कर दिये गये। वन्दना पत्नी विवेक के लिए एच्छिक ब्यूरों की सहमती से एफआइआर के लिए अग्रसारित की गयी क्योकि विपक्षी लगातार सूचना देने के बाद भी अपने निवास स्थान के समीप पुलिस चौकी पिपरीडीह द्वारा उपस्थित होने की सूचना देने पर भी उपस्थित नही हो रहे है इसी बीच प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में तलाक का मुकदमा भी कर दिया है और मऊ में नही रहने की गलत सूचना दे रहे है। इस तरह कुल 03 मामलों में कार्यवाही दर्ज की गयी तथा 06 मामलें बन्द कर दिये गये। ब्यूरों के बैठक में सर्वेश दुबे, अर्चना उपाध्याय, मौलवी अदशद तथा महिला आरक्षी प्रीती दुबे उपस्थित रही।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.10.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कस्बा मुहम्मदाबाद से मु0अ0सं0 542/21 धारा 420,406 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण धमेन्द्र पुत्र लालता निवासी बड़ागांव थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, रामनिशानी पुत्र राम लक्ष्मण निवासी भड़सडा थाना रानीपुर, बीर बहादुर पुत्र श्रीराम, रविकुमार पुत्र रामवृक्ष निवासी धरहराघाट थाना मुहम्मदाबाद, राहुल खरवार पुत्र अखिलेश निवासीगण भतड़ी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 04 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा रामकेवल निवासी सरायगणेश थाना घोसी, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मनोज यादव, श्यामलाल यादव निवासीगण कुतुबपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा धीरेन्द्र निवासी तुरपतपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दीनानाथ चौहान उर्फ लालू चौहान पुत्र रामवृक्ष चौहान उर्फ भगेलू निवासी कारीसाथ थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।